संख्या-93/2018/3338 ई-2/तेरह-2018-153/2017

प्रेषक

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 26 अक्टूबर,2018

विषयः-सरिता फ्लेवर्स, जी-13, 14 फ्रैड्स वासन प्लाजा, संजय प्लेस, आगरा को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृ ष्ठांकित अपने पत्र सं0-525/आब0सहा0/2017-18, दि0 22 मई, 2018 तथा पत्र सं0-663/आब0सहा0/2017-18, दि0 24 सितम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22 मई, 2018 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की रिपोर्ट एवं की गई संस्तुति तथा पत्र दिनांक 24 सितम्बर, 2018 में प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट में मदिरा के किस्मों के प्रदर्शन के सम्बन्ध में प्रेषित आख्या तथा आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-559/दस-लाइसेंस-12/एफ0एल0-6-7/बार अनु0/सरिता फ्लेवर्स/आगरा, दिनांक 24 अगस्त,2018 द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2018-19 के लिए सरिता फ्लेवर्स द्वारा संचालित बरकोस रेस्टोरेन्ट, जी-13, 14 फ्रैड्स वासन प्लाजा, संजय प्लेस, आगरा को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि उक्त रेस्टोरेन्ट में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था के दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षाकर्मी होने तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में दी गई शर्तों को पूर्ण होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किये जाएं।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-93/2018/3338(1) ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-559/दस-लाइसेंस-12/एफ0एल0-6-7/बार अनु0/सरिता फ्लेवर्स/आगरा, दिनांक 24 अगस्त,2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।